

परियोजना का नाम— जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क, के अन्तर्गत चीला-मोतीचूर कोरिडोर की पुनर्स्थापना हेतु खाण्ड गांव-3 के परिवारों को विस्थापित कर लाल पानी क0सं0-2 में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में 2.4 है0वन भूमि के हस्तान्तरण।

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 2.40 है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

Handwritten signatures and official seals of various officials are present on the document, including:

- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग
- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून
- जिलाधिकारी, देहरादून
- वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश रेज, देहरादून
- वन क्षेत्राधिकारी, ऋषिकेश रेज, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून
- राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून